मध्ययप्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

क्रमांक F10-64/2016/33 भोपाल, दिनांक 13/09/2017

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर

जिला - (म.प्र)

विषयः-जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (डी.टी.पी.सी.) हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त/उपविधि का प्रारूप।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न जिलों द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् (डी.टी.पी.सी.) का गठन/पंजीयन कराया जाकर तैयार की गई उपविधि प्रषित की गई है, जिसके अवलोकन से पाया गया है कि उक्त उपविधियों/बाईलॉज में एकरूपता नहीं है। अतएव पर्यटन विभाग द्वारा जिला पर्यटन संवर्धन परिष्द (डी.टी.पी.सी.) हेतु उपविधियों के मार्गदर्शी सिद्धान्त का प्रारूप तैयार किया जाकर इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।

2. मान. मुख्यमंत्री जी ने समस्त विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए हैं कि आगामी माहों में प्रत्येक जिले के प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में डी.टी.पी.सी. की साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाए, जिसमें जिले के समग्र पर्यटन विकास की रूप रेखा पर चर्चा की जाए। मान. मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि दिनांक 06 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2017 के दौरान प्रदेश में "पर्यटन अभियान" चलाया जाए। इस अभियान के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा पृथक से विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र जारी किए जा रहे हैं।

3. मान.प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक आयोजित करने हेतु यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जिले की गठित डी.टी.पी.सी. के उपविधियों में तद्नुसार प्रावधान हों। यदि ऐसे स्पष्ट प्रावधान न हों तो कृपया तद्नुसार उक्त प्रारूप अनुसार पर्यटन संवर्धन (डी.टी.पी.सी.) हेतु तैयार की गई उपविधि में संशोधन किये जाकर संशोधित उपविधियों की जानकारी 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(हरि रंजन राव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यटन विभाग

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (डी.टी.पी.सी.) हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

मध्य प्रदेश में पर्यटन की दिशा में उत्त्रोत्तर वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की एक विशिष्ट पहचान स्थापित हुई है। निसंदेह इस प्रगति पर मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किन्तु इसमें परोक्ष रूप से निजी क्षेत्र तथा - होटल रिसोर्ट/टूर ऑपरेटर/ट्रेवज एजेन्टस आदि का भी सक्रिय योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त गंतव्य स्थलों पर स्थानीय जनप्रतिनिधि नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि तथा कलेक्टर, पुलिस विभाग, वन विभाग आदि की भी भूमिका महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन नीति 2016 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन किये जाने हेतु मंत्री परिषद द्वारा पर्यटन विभाग को अधिकृत किया गया है। एकरूपता लाने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नानुसार जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन प्रस्तावित किया जाता है:-

इसमें प्रमुख रूप से स्थानीय स्तर पर माननीय जिला प्रभारी मंत्री, सांसद एवं विधायक गण तथा अन्य जन प्रतिनिधि, कलेक्टर, एस.डी.एम./सी.एम.ओ. नगर पालिका या नगर निगम कमिश्नर तथा अध्यक्ष, विकास परिषद, छावनी अध्यक्ष परिषद आदि सदस्य के रूप में मनोनीत किये जा सकते हैं। परिषद में साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति का गठन कर कार्य सम्पन्न किया जावेगा।

1. गठन :- परिषद में साधारण सभा के निम्नलिखित संरक्षक सदस्य होंगे –

(1) जिले के प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष
(2) सांसद - उपाध्यक्ष
(3) जिले के समस्त विधायक - सदस्य
(4) अध्यक्ष, जिला पंचायत - सदस्य
(5) महापौर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर पालिका - सदस्य
(6) कलेक्टर - सदस्य सचिव
(7) पुलिस अधीक्षक - सदस्य
(8) आयुक्त, नगर निगम/जिला मुख्यालय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी - सदस्य
(9) वन संरक्षक - सदस्य
(10) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - सदस्य
(11) क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम - सदस्य

(12)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
(13)	उप संचालक/सहायक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग	-	सदस्य
(14)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
(15)	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	-	सदस्य
(16)	स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(17)	ट्रेवल एजेन्ट/ट्रांसपोर्ट ऐसोसिएशन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(18)	सशुल्क सदस्यता ग्रहण करने वाले सदस्य	-	03 सदस्य
(19)	विशेष आमंत्रित सदस्य	-	03 सदस्य पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रूचि रखने वाले नागरिक

(क्रमांक 16 से 19 तक के सदस्य अध्यक्ष, साधारण सभा द्वारा नामांकित होंगे।)

2. कार्यकारिणी समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे :-

(1)	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(3)	वन संरक्षक	-	सदस्य
(4)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
(5)	अतिरिक्त कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर	-	सदस्य
(6)	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	-	सदस्य
(7)	क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	-	सदस्य
(8)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
(9)	उप संचालक/सहायक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग	-	सदस्य
(10)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
(11)	स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(12)	ट्रेवल एजेन्ट/ट्रांसपोर्ट ऐसोसिएशन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(13)	विशेष आमंत्रित सदस्य	-	03 सदस्य पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रूचि रखने वाले नागरिक

(क्रमांक 11 से 13 तक सदस्य अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित)

(अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा क्रमांक 2 से 10 में से, सचिव एवं कोषाध्यक्ष नामांकित किए जा सकेंगे।)

3. बैठक :-

1. साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार आवश्यक रूप से की जावेगी, जिसमें एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
2. कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में चार बार हर तीन माह के अंतराल में होगी, जिसमें एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4. परिषद के उददेश्य :-

(1) जिले में पर्यटन संभावनाओं का पूर्ण दोहन करने हेतु विभिन्न शासकीय विभागों/स्वयंसेवी, संगठनों तथा पर्यटन से जुड़े हुये हितग्राहियों (स्टेक होल्डर्स) (यथा –होटल, व्यवसायी, टूर ऑपरेटर, एजेन्ट, गाईड) आदि के बीच समन्वय स्थापित करना।

(2) जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन यथा – एडवेंचर कैम्प, सांस्कृतिक महोत्सव, फूड फेस्टीवल आदि आयोजित करना।

(3) निजी भागीदारी से तैयार स्थानीय उत्पादों का पर्यटन की दृष्टि से मार्केटिंग करना।

(4) पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ताओं में सुधार करना।

(5) प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सूचना पटल (साईनेज)/पेयजल/शौचालय/पार्किंग आदि की सुविधाऐं जुटाना।

(6) पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा एवं रख-रखाव करना।

(7) पर्यटन तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ के प्रति जागृति पैदा करना तथा स्थानीय नागरिकों को पर्यटन के सहयोग हेतु तैयार करना।

(8) निजी निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना एवं उन्हें राज्य की पर्यटन नीति के तहत हर संभव सहयोग प्रदान करना।

(9) स्थानीय पर्यटक स्थलों के प्रबंधन एवं रख-रखाव हेतु स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करना एवं अधिकृत किये जाने पर पारदर्शी प्रक्रिया से निजी क्षेत्र को सौंपना, शुल्क आदि निर्धारित करना एवं प्राप्त करना।

(10) पर्यटन विकास एवं पर्यटक स्थलों के रख-रखाव, पर्यटन सुविधाओं की स्थापना आदि के लिये सांसद निधि, विधायक निधि, जनभागीदारी निधि, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सबिलिटी अन्तर्गत कंपनियों से एवं अन्य दान-दाताओं से राशि/अनुदान प्राप्त करना एवं कार्य कराना।

(11) पर्यटन स्थलों पर स्थानीय सुविधाओं के विकास प्रबंधन एवं संधारण हेतु संबंधित एजेंसी यथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व, वन विभाग आदि को आवश्यक सहयोग प्रदान करना एवं अधिकृत किए जाने पर स्वयं एजेंसी के रूप में कार्य करना।

(12) अपने क्षेत्रांतर्गत स्थानीय पर्यटन विकास हेतु हेतु टूरिज्म मास्टर प्लान बनाना।

(13) राज्य की पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूति के लिये किये जाने वाले कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

(14) जिले में स्थित पर्यटन के आर्कषण के केन्द्रों के बारे में जानकारी संकलित करना तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करना।

(15) जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रेरित करना।

(16) जिले में पर्यटन संवर्धन की दिशा में अन्य कार्य।

(17) पर्यटन विकास से संबंधित अन्य कार्य जिनकी पर्यटन विभाग द्वारा अपेक्षा की जाये, का संपादन करना।

5. सदस्यता :-

5.1 साधारण सदस्य – बिन्दु क्रमांक 1 अनुसार 1-17 तक पदेन सदस्य होंगे तथा नियमानुसार सदस्यता प्राप्त करने वाले समस्त सदस्यगण और प्रतिष्ठित गणमान्य साधारण सदस्य होंगे, इसके अतिरिक्त निर्धारित शुल्क देकर सदस्यता ग्रहण की जा सकेगी।

5.2 कार्यकारिणी सदस्य – बिन्दु क्रमांक 2 अनुसार 1 से 10 तक समस्त सदस्य पदेन कार्यकारिणी सदस्य होंगे। क्रमांक 11 से 13 तक अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित होंगे।

5.3 सदस्यों की पात्रता – समस्त अशासकीय सदस्य नि:शुल्क सेवा के लिए उपलब्ध होगें अर्थात किसी भी प्रकार का टी.ए. व डी.ए. नही दिया जायेगा।

5.4 सदस्यता हेतु आवेदन – जिला पर्यटन विकास परिषद द्वारा सदस्यता के आवेदन हेतु एक निर्धारित प्रपत्र तैयार किया जावेगा जिसे भरकर सदस्यता हेतु निश्चित शुल्क जमा कर सदस्यता प्राप्त की जा सकेगी।

परिषद को सदस्यता देने अथवा न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

5.5 सदस्यता शुल्क – सदस्यता शुल्क रूपये 500/- प्रतिवर्ष अथवा परिषद द्वारा निर्धारित।

5.6 सदस्यता हेतु योग्यता –

जिला पर्यटन संवर्धन परिषद द्वारा सदस्यता के लिये निम्न योग्यता होना चाहिए –

1. आवेदन के समय आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
2. वह भारत का नागरिक हो।
3. वह परिषद के नियमों का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
4. वह सद्चरित्र हो एवं दिवालिया न हो।
5. आवेदक सजायाफ्ता न हो।

सदस्यता समाप्ति –

किसी प्रकार के निम्न कारण स्थापित होने पर सदस्यता समाप्त की जा सकेगी –

1. स्वयं द्वारा परिषद को लिखित इस्तीफा देने के कारण।
2. पागल हो जाने के कारण।
3. न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के कारण।
4. परिषद के नियमों के अनुरूप आचरण न करने के कारण।
5. सदस्यता शुल्क का भुगतान समयावधि में नहीं करने के कारण।

उक्त किसी भी कारण से सदस्यता समाप्त होने पर परिषद सदस्य को लिखित में सूचित करेगी।

6. वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता –

1. सदस्यता शुल्क द्वारा।
2. शासन के विभागों द्वारा अनुदान।
3. स्पॉन्सरशिप या दान द्वारा।
4. विशेष प्रयोजन हेतु आयोजित कार्यक्रमों के शुल्क द्वारा।
5. जन/निजी भागीदारी के आयोजनों से प्राप्त शुल्क द्वारा।
6. पर्यटन केन्द्रों के सुविधा शुल्क द्वारा।
7. भारत शासन/राज्य शासन अथवा किसी अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं द्वारा विशेष प्रोजेक्ट हेतु अनुदान।

7. प्रबंधकारिणी के अधिकार कर्तव्य –

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु परिषद का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) परिषद एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों आदि का भुगतान करना। परिषद की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का नियमानुसार भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें।

(घ) परिषद की समस्त चल-अचल सम्पत्ति, प्रबंधकारिणी परिषद के नाम से रहेगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर परिषद के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा।

8. संचालन – संलग्न बाईलाज अनुसार।

9. अध्यक्ष के अधिकार – अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी परिषद की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

10. उपाध्यक्ष के अधिकार – अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

11. सचिव के अधिकार –

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक, समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन-पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) परिषद का आय-व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

(3) परिषद के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना। समस्त बैठकों की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।

(4) सचिव को किसी कार्य के खर्च के लिए एक समय में रूपये ..... खर्च करने का अधिकार होगा।

12. कोषाध्यक्ष के अधिकार – परिषद की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

परिषद के मॉडल बाईलाज

परिशिष्ट "अ"

(परिषद नियमों का प्रारूप)

1. परिषद का नाम - .....
2. कार्यालय – इस परिषद का प्रधान कार्यालय पता - .....जिला ..... मध्य प्रदेश में होगा।
3. इस परिषद के उद्देश्य निम्नलिखित होगें –
4. कार्यक्षेत्र – इस परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला होगा।
5. सदस्यता – परिषद के निम्न श्रेणी के सदस्य होगें –

(अ) संरक्षक – संरक्षक सदस्य निम्नानुसार 1 से 5 तक होंगे –

(1)	जिले के प्रभारी मंत्री	-	अध्यक्ष
(2)	सांसद	-	उपाध्यक्ष
(3)	जिले के समस्त विधायक	-	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, जिला पंचायत	-	सदस्य
(5)	महापौर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर पालिका	-	सदस्य

(ब) पदेन सदस्य – पदेन सदस्य निम्नानुसार क्रमांक 6 से 15 तक होंगे।

(6)	कलेक्टर	-	सदस्य सचिव
(7)	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(8)	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	-	सदस्य
(9)	वन संरक्षक	-	सदस्य
(10)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
(11)	क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	-	सदस्य
(12)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
(13)	उप संचालक/सहायक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग	-	सदस्य
(14)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
(15)	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	-	सदस्य

(स) आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति परिषद को सदस्यता शुल्क या दान के रूप में रूपये ..... या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा और उसका अनुमोदन परिषद द्वारा किया गया हो, वह परिषद का आजीवन सदस्य होगा। कोई भी आजीवन सदस्य ..... रूपये से अधिक देकर संरक्षक बन सकता है।

(द) साधारण सदस्य – जो व्यक्ति ..... रूपये प्रतिमाह या ..... रूपये प्रतिवर्ष एक मुश्त परिषद को चन्दे के रूप में देगा एवं प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित हो, वह साधारण सदस्य होगा। साधरण सदस्य केवल उसी अवधि तक सदस्य रहेगा जिसके लिए उसने सदस्यता शुल्क दिया है। जो सामान्य सदस्य बिना संतोष जनक कारणों के छः माह तक देय सदस्यता शुल्क नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया सदस्यता शुल्क की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकेगा।

(घ) विशेष आमंत्रित सदस्य – परिषद की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे, विशेष आमंत्रित सदस्य बना सकता है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति – प्रत्येक व्यक्ति को जो कि परिषद का सदस्य बनने का इच्छुक हो परिषद द्वारा निर्धारित फार्म पर लिखित रूप से आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन- पत्र प्रबंधकारिणी परिषदको प्रस्तुत होगा जिसे कि उस आवेदन-पत्र को स्वीकार करने व कारण बताते उसे अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. सदस्यों की योग्यताऐं – परिषद का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है –

(अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो,

(ब) भारतीय हो,

(स) पागल न हो या अन्य प्रकार से अयोग्य न हो,

(द) सद्चरित्र हो।

8. अर्थदण्ड एवं निष्कासन –

(क) जो सदस्य वार्षिक सदस्यता शुल्क की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नही करेगा, तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर सदस्यता शुल्क 3 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मासिक सदस्यता शुल्क की रकम को निश्चित अवधि में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह के अन्दर 25 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा।

(ग) वार्षिक या मासिक सदस्यता शुल्क देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार सदस्यता शुल्क नही दे तो ऐसे व्यक्ति की कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात लगातार छः माह तक सदस्यता शुल्क न देने या माँग करने पर भी इंकार कर देने पर, ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा उक नोटिस दिया जावेगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य के नाम काटने का निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(ड़) प्रबंधकारिणी को समुचित प्रमाण मिलने या जांच करने पर यह संतोष हो जाये कि कोई सदस्य परिषद के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है या नियमों का पालन नही कर रहा है या परिषद की सम्पत्ति को हानि पँहुचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो परिषद को किसी प्रकार से भी हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्ययक होगा।

9. पारित प्रस्ताव की सूचना – परिषद द्वारा नियम 8 (ड़) में बताये कारणों के अन्तर्गत किसी सदस्य को सदस्यता से पृथक किये जाने संबंधी प्रस्ताव पारित हो जाने पर उसकी सूची लिखित रूप से सदस्य को भेजनी होगी।

10. सदस्यता की समाप्ति – परिषद की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी –

(1) पागल हो जाने पर,

(2) परिषद को देय सदस्यता शुल्क की रकम नियम 8 में बताये अनुसार जमा न करने पर,

(3) त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर,

(4) नियम 8 (ड़) के अनुसार उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निकाल दिये जाने पर।

11. परिषद के कार्य संचालन के लिये निम्नलिखित समितियों का गठन करना होगा।

12. साधारण सभा –

(अ) साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाए श्रेणी के सदस्य निम्नानुसार समावेशित होंगे –

संरक्षक – संरक्षक सदस्य निम्नानुसार 1 से 5 तक होंगे –

(1)	जिले के प्रभारी मंत्री	-	अध्यक्ष
(2)	सांसद	-	उपाध्यक्ष
(3)	जिले के समस्त विधायक	-	सदस्य
(4)	अध्यक्ष, जिला पंचायत	-	सदस्य
(5)	महापौर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर पालिका	-	सदस्य

पदेन सदस्य – पदेन सदस्य निम्नानुसार क्रमांक 6 से 15 तक होंगे।

(6)	कलेक्टर	-	सदस्य
(7)	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(8)	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी	-	सदस्य
(9)	वन संरक्षक	-	सदस्य
(10)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
(11)	क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	-	सदस्य
(12)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
(13)	उप संचालक/सहायक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग	-	सदस्य
(14)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
(15)	जिला जनसम्पर्क अधिकारी	-	सदस्य

आजीवन सदस्य – जो व्यक्ति परिषद को सदस्यता शुल्क या दान के रूप में रूपये ..... या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा और उसका अनुमोदन परिषद द्वारा किया गया हो, वह परिषद का आजीवन सदस्य होगा। कोई भी आजीवन सदस्य ..... रूपये से अधिक देकर संरक्षक बन सकता है।

साधारण सदस्य – जो व्यक्ति ..... रूपये प्रतिमाह या ..... रूपये प्रतिवर्ष एक मुश्त परिषद को सदस्यता शुल्क के रूप में देगा एवं प्रबंधकारिणी द्वारा अनुमोदित हो, वह साधारण सदस्य होगा। साधरण सदस्य केवल उसी अवधि तक सदस्य रहेगा जिसके लिए उसने सदस्यता शुल्क दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय सदस्यता शुल्क नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सदस्यता के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया सदस्यता शुल्क की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकेगा।

विशेष आमंत्रित सदस्य – परिषद की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे, विशेष आमंत्रित सदस्य बना सकता है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(अ) साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी परिषद निश्चित कर 15 दिवस पूर्व सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम ½ सदस्यों का होगा। बैठक में कोरम ½ सदस्य का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है, तो बैठक एक घण्टे के लिय स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिनांक को पुन: बैठक की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी। परिषद की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन निश्चित समय में नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह परिषद की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के मार्गदर्शन में कराकर उसमें पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) कार्यकारिणी समिति – कार्यभारित समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को लिखित भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम ½ सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है, तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिनांक को पुन: बैठक की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

(स) विशेष सभा – यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्य लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंधमें आवश्यक निर्देश जारी करने तथा परिषद को परामर्श देने का अधिकार होगा।

13. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य -

(क) परिषद के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण एवं प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) परिषद की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत हो,

(च) परिषद द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(छ) बजट का अनुमोदन करना।

14. कार्यकारिणी का गठन – कार्यकारिणी में निम्नानुसार सदस्य होगें :-

(1)	कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
(3)	वन संरक्षक	-	सदस्य
(4)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	-	सदस्य
(5)	अतिरिक्त कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर	-	सदस्य
(6)	आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका	-	सदस्य
(7)	क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	-	सदस्य
(8)	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग	-	सदस्य
(9)	उप संचालक/सहायक संचालक, राज्य पुरातत्व विभाग	-	सदस्य
(10)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	-	सदस्य
(11)	स्थानीय होटल/रिसोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(12)	ट्रेवल एजेन्ट/ट्रांसपोर्ट ऐसोसिएशन का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(13)	विशेष आमंत्रित सदस्य	-	03 सदस्य पर्यटन/पुरातत्व के क्षेत्र में विशेष रूचि रखने वाले नागरिक

(क्रमांक 11 से 13 तक सदस्य अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नामांकित)

(अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त क्रमांक 2 से 10 में से, सचिव एवं कोषाध्यक्ष नामांकित किए जा सकेंगे।)

15. बैंकखाता – परिषद की समस्त निधि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये ..... रहेगें।

16. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी – परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित विधि से कार्यकारिणी की सूची पंजीयक के पास फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत परिषद का परीक्षित लेखा भेजा जावेगा।

17. संशोधन – परिषद के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो परिषद के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

18. विघटन – परिषद का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात परिषद की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली परिषद को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

19. सम्पत्ति – परिषद की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति परिषद के नाम से रहेगी। परिषद की अचल सम्पत्ति (स्थावर) पंजीयक एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा बिना विक्रय द्वारा, दान या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी।

20. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना – परिषद की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारी द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयन फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचार विषय निश्चित कर सकेगा।

21. विवाद – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्माण से उभय पक्षको संतोष न हो तो वह पंजीयक की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगा। पंजीयक का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध परिषद में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार पंजीयक को होगा।